

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

रविवार

दिनांक :- 08.10.2017

शांति भंग करने के 06 आरोपी गिरफ्तार :-

रमेश चन्द स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री दिलीप चन्द जाति ब्राह्मण उम्र 26 साल निवासी बजरिया थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार विमल कुमार हैड कानि0 थाना सदर गंगापुर सिटी ने कुलदीप पुत्र श्री गांविन्द सहाय जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी मोतीपुरा थाना सदर गंगापुरसिटी शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार कस्तुर वर्मा उ0नि0 थानाधिकारी थाना रवांजना डुंगर ने मनराज पुत्र लड्डु लाल जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी किशनपुरा की ढाणी थाना रवाजना डुंगर शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार इन्द्रजीत हैड कानि0 थाना सूरवाल ने कमलेश पुत्र श्री सद्दू जाति माली निवासी भगवतगढ थाना सूरवाल, 2. जगदीश पुत्र श्री ग्यारसीलाल जाति पूर्विया निवासी भगवतगढ थाना सूरवाल 3. बनवारा पुत्र जगदीश मीना उम्र 25 साल निवासी उर्गरिया बास थाना लाललोट दौसा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते आरोपी गिरफ्तार:-

अनुप सिंह थानाधिकारी थाना बाटोदा ने हंसराज पुत्र श्री बीरवल उम्र 35 साल जाति गूर्जर निवासी जाखोलास कलां थाना बाटोदा को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

खेमचन्द कानि0 235 थाना गंगापुरसिटी ने फरार स्थायी वारण्टी राजेन्द्र पुत्र सुकराम जाति मीना उम्र 23 साल निवासी मेडी हाल सपेरा बस्ती गंगापुरसिटी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जे0एम0 न0 02 गंगापुरसिटी द्वारा प्रकरण संख्या 478/11 में स्थायी वारण्ट जारी किया गया था।

जुआ खेलते 02 आरोपी गिरफ्तार:-

पूरण चन्द उ0नि0 थाना गंगापुर सिटी पूरण कंडेरा पुत्र दुर्गालाल निवासी सैनिक नगर गंगापुरसिटी को पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा उपकरण एवं 1650 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 674/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार भरत सिंह स0उ0नि0 थाना गंगापुर सिटी ने सिताबी पुत्र अजमेरी उम्र 24 साल निवासी जामा मस्जिद के पास गंगापुरसिटी को पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा उपकरण एवं 1355 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 673/17 दर्ज किया गया।